A 1/13

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

पीठासीन अधिकारी :– महेन्द्र मीणा,आर.ए.एस.
राजस्व मूल वाद संख्या 34/2015

वादी :–

1.नारायणराम पुत्र गोमाराम जाति बलाई उम्र 38 वर्ष निवासी ग्राम गादरोल तहसील आमेट जिला राजसमंद हाल निवासी ग्राम जसराना तहसील कुचामनसिटी (नागौर)

बनाम

प्रतिवादीगण

चन्द्राराम पुत्र मोटाराम के कायम मुकाम :–

1.मोहनी उर्फ छोटी पत्नि स्व. चन्द्राराम
2.जेठाराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
3.श्रवणराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
4.कानाराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
5.देवाराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
6.लालूराम पुत्र स्व. चन्द्राराम
7.भंवरी पुत्री स्व. चन्द्राराम
8.शान्ति पुत्री स्व. चन्द्राराम
9.मुन्नी पुत्री स्व. चन्द्राराम
10.बीजू पुत्री स्व. चन्द्राराम
11.नाराणी पुत्री स्व. चन्द्राराम
12.मोघा पुत्री स्व. चन्द्राराम
13.आंचू पुत्री स्व. स्व. चन्द्राराम जाति समस्त रेगर निवासीयान ग्राम बांसा तहसील डीडवाना उप तहसील मौलासर जिला नागौर, राजस्थान
14.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी (लैण्ड होल्डर)

दावा बाबत बंटवारा होल्डिंग अन्तर्गत धारा 53,88,व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :– श्री अशोक पुरी अधिवक्ता वादी की ओर से ।

आदेश

दिनॉक :– 25/6/15

वादी की ओर से प्रस्तुत वाद का सार संक्षेप में इस प्रकार से है कि ग्राम जसराना की सरहद में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 301 रकबा 3.53 हैक्टर, खसरा नम्बर 304 रकबा 1.84 हैक्टर कुल रकबा 5.37 हैक्टर वादी एवं प्रतिवादी से संख्या 1 ता 13 के पिता चन्द्राराम की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 के पिता चन्द्राराम का स्वर्गवास हो चुका है। उपरोक्त खसरान की भूमि में 2.14 हैक्टर भूमि वादी के हिस्से में आयी हुई है । मौके पर वादी का भौतिक कब्जा खसरा नम्बर 304 रकबा 1.84 हैक्टर व खसरा नम्बर 301 मे से 0.30 हैक्टर

.......2......

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
कुचामन सिटी (नागौर)

A2/14

भूमि पर वादी काबिज है । जिसका नजरी नक्शा संलग्न प्रस्तुत है । वादी ने उपरोक्त भूमि का बंटवारा किये जाने हेतु प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा गया। परन्तु प्रतिवादीगण ने संतोषप्रद जवाब नही दिया । प्रतिवादीगण ने धमकी दी है कि वह न तो भू–विभाजन करायेंगे एवं न ही सही नाप चौक करने देगें तथा भू–माफियाओ से मिलकर भूमि को हस्तान्तरित कर देगें । वादी की इस्तदुआ है कि ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 301 व 304 रकबा 2.14 हैक्टर का खातेदार काश्तकार घोषित किया ज़ाव एवं वाद पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार माफिक बाई मीटस एण्ड बाउण्डस बंटवारा करवाया जाकर वादी की अलग होल्डिंग वादी द्वारा वाद के साथ संलग्न नजरी नक्शा अनुसार कायम की जावे, तथा स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी विरूद्व प्रतिवादी संख्या 1 से 13 इस आशय की जारी फरमायी जावे की वादी को खसरा नम्बर 301 व 304 संलग्न नजरी नक्शा अनुसार 2.14 हैक्टर में वादी के कब्जे काश्त व अधिकारो की भूमि के उपयोग उपभोग में प्रतिवादीगण संख्या 1 से 13 किसी प्रकार का दखल न तो स्वयं डाले न ही अपने प्रतिनिधियो से डलवाये ।

वाद वादी दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवीदगण के सम्मन तामिल होकर प्राप्त । बावजूद इतला अनुपस्थित रहे । जिससे इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयीं ।

वादी वकील की एक–पक्षीय बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। वादी ने कथन किया है कि ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 304 रकबा 1.84 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 301 मे से 0.30 हैक्टर कुल 2.14 हैक्टर की खातेदारी अलग दर्ज करने एवं नक्शे में तरमीम करने के आदेश फरमावें । प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2067–2070 का अवलोकन किया गया। जिसमे खाता संयुक्त रूप से दर्ज है तथा वादी के हिस्से में 2.14 हैक्टर भूमि दर्ज है । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि वादी का वाद प्राथमिक डिक्री काबिल योग्य होने से निम्न प्रकार प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

आदेश

ग्राम जसराना के खसरा नम्बर 304 रकबा 1.84 हैक्टर एवं खसरा नम्बर 301 रकबा 3.53 हैक्टर में से 0.30 हैक्टर नजरी नक्शा अनुसार वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। नजरी नक्शा डिक्री का भाग रहेगा । तहसीलदार कुचामनसिटी को निर्देशित किया जाता है उपरोक्त अनुसर बंटवारा स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करें । प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो ।

निर्णय आज दिनॉक 25/6/15 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(महेन्द्र मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)